विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग अधिसूचना

दिल्ली, नवम्बर 28, 1996

संख्या एफ. 13(ii)/96 एल. ए./337:—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 26 नवम्बर, 1996 को मिली अनुमित के पश्चात् विधान सभा द्वारा पारित निम्न लिखित अधिनियम जन-साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:—

दिल्ली होम्योपैथिक (संशोधन) अधिनियम, 1996 (दिल्ली अधिनियम संख्या 11, 1996)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथापारित अधिनियम)

एक अधिनियम

दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 का पुनः संशोधन हेतु यह भारतीय गणतंत्र के 47 वें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :—(1) यह अधिनियम दिल्ली होम्योपैथिक (संशोधन) अधिनियम, 1996 कहा जाए।
- (2) यह सरकारी राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित . . तिथि से लागू होगा।
- 2. धारा 2 का संशोधन:—दिल्ली होम्योपैथिक अधिनियम, 1956 उसके बाद (मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की उपधारा 1 के खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (च) व्यवसायों का अर्थ वह व्यक्ति जिसके पास अनुसूची में उल्लिखित योग्यताएं हो और धारा 24 के अन्तर्गत रिजस्टर में अपना नाम दर्ज कराने के लिए योग्य हो।
- 3. धारा 3 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के लिए निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—
- (2)''बोर्ड'' में नौ सदस्य होंगे और यह निम्न विधि से गठित किया जाएगा अर्थात् :—
 - (क) इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई एक योग्यता रखने वाले चार सदस्य तथा पंजीकृत व्यवसायी अपने में से निर्वाचित करें।
 - (ख) तीन सदस्य जो कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हो और राज्य सरकार द्वारा नामित हो,
 - (ग) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में स्थित होम्योपैथिक मैडिकल कालेज के प्रधानाचार्यों अथवा अध्यापन संकाय के अन्य सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा एक सदस्य नामांकित, तथा
 - (घ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी शासन के भारतीय चिकित्सा पद्धित और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धित से सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक अथवा

कोई अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामांकित किया जाए।

- 4. धारा 9 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में खंड (क) में आए शब्द ''तीन निरंतर साधारण बैठकें'' के स्थान पर शब्द ''पांच निरंतर साधारण बैठकें'' प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
- 5. धारा 24 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 24 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (5) शामिल की जाएगी :—
 - "(5) उपधारा (1) के अंतर्गत रिजस्टर में अपना नाम दर्ज़ कराने के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को इस आश्रय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने पंजीकरण करने के लिए किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है और यदि उसका नाम किसी राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के पास किसी समय दर्ज था तो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जैसी भी स्थिति हो कि बोर्ड या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी निरसन प्रमाण पत्र भी अपने शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 6. नई धारा 37(क) तथा (ख) जोड़ना :—मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् निम्नलिखित नई धाराएं 37(क) तथा (ख) जोड़ी जाएंगी अर्थात् :—
 - 37 (क) केवल पंजीकृत व्यवसायी ही प्रैक्टिस कर सकता है:
 - किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस नहीं करेगा।
 - 2. यदि किसी व्यक्ति का नाम रिजस्टर में कुछ समय के लिए दर्ज नहीं किया जाता है या गलत तरीके से प्रतिनिधित्व करता है— इस प्रकार दर्ज पंजीकृत व्यक्ति दोष सिद्धि होने पर दंडित किया जाएगा जिसका जुर्माना 1000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
 - 37(ख) पंजीकरण प्रमाण का प्रदर्शन:—1. प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को निर्धारित प्रपत्र में पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी अपनी प्रैक्टिस से किसी प्रमुख स्थान पर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करेगा। और यदि उसके पास ऐसे एक से अधिक स्थान हैं तो सभी स्थानों पर।
 - 2. जो उपधारा 2 के उपबंधों के अनुपालन के प्रति विफल रहता है तो उसे दंडित किया जाएगा जिसका अर्थदण्ड 1000 रुपये तक बढ़या जा सकता है। यदि वह लगातार विफल रहता है तो प्रथम दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए 1000 रुपये तक अतिरिक्त अर्थदण्ड बढ़ सकता है जिस अवधि में वह विफल रहता है।
- 7. धारा 40 का संशोधन :—मूल अधिनियम की धारा 40 में आई संक्षिप्तियां के स्थान पर, कोष्ठक व शब्द "500 रुपये (पांच सौ)" तथा "1000 रुपये (एक हजार रुपये)" संक्षिप्तियां, अंक कोष्ठक तथा शब्द "5000 रूपए (पांच हजार रुपये)" और "10000 रुपये (दस हजार रुपये)" क्रमशः स्थापित किए जाएंगे।

8. अनुसूची का संशोधन :— मूल अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी।

अनुसूची

- 1. जिन होम्योपैथिक डाक्टर ने किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्थित किसी होम्योपैथिक संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण की हो बशर्ते कि पंजीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसी संस्था राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- 2. वे होम्योपैथिक डाक्टर जो केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अनुसार मान्य चिकित्सा योग्यता रखते : हैं।

(केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59, 1973) आर. टी.एल. डिसूजा, अवर सचिव (विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOFIFICATION

Delhi, the 28th November, 1996

No. F. 13(11)/96-LA./337:—The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 26th November, 1996, and is hereby published for general information:

DELHI HOMEOPATHIC (AMENDMENT) ACT, 1996 (Delhi, Act No. 11 of 1996)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, 28-11-1996)

An act further to amend the Delhi Homeopathic Act, 1956.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Forty-Seventh year of the Republic of India as follows:—

- Short title and commencement.—(i) This Act may be called the Delhi Homeopathic (Amendment) Act, 1996.
- (ii) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.
- 2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Delhi Homeopathic Act, 1956 (hereinafter referred to as the principal Act), (Act No. 11 of 1956), in sub-section (1), for clause (f), the following shall be substituted, namely:—
 - "(f) 'practitioner' means a person who possesses the qualifications mentioned in the Schedule and is eligible to have his name entered in the register under section 24;"
- 3. Amendment of section 3.—In section 3, of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—
 - "(2) The Board shall consist of nine members and shall be constituted in the following manner namely:—
 - (a) four members, who possess any of the qualifications mentioned in the Schedule to this Act and are elected

- by the registered practitioners from amongst themselves;
- (b) two members who are registered practitioners and are nominated by the State Government;
- (c) one member nominated by the State Government from amongst the Principals or other teaching faculty members of Homeopathy Medical Colleges in the National Capital Territory of Delhi;
- (d) the Director or Additional Director, or any other officer as many be specified by the State Government dealing with the Indian System of Medicine, of the Government of National Capital Territory of Delhi, to be nominated by the State Government; and
- (e) one Member of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi to be nominated by the State Government."
- 4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "three consecutive ordinary meetings" the words "five consecutive ordinary meetings" shall be substituted.
- 5. Amendment of section 24.—In section 24 of the principal Act, after sub-section (4), the following new subsection (5) shall be inserted, namely:—
 - "(5) Any person who makes an application for entry of his name in the register under sub-section (1) shall be required to submit an affidavit to the effect that he has not applied for registration in any other State or Union Territory and that if his name was registered with any other State or Union Territory at any time, he shall also submit a certificate of cancellation issued by the Board or any other competent authority of that State or Union Territory, as the case may be, alongwith his affidavit."
- 6. Insertion of new sections 37A and 37B.—After section 37 of the principal Act, the following new sections 37A and 37B shall be inserted, namely:—
 - "37A Only registered practitioner to practice. (1) No person other than a registered practitioner shall practice in the Homeopathy System of Medicine in the National Capital Territory of Delhi.

- (2) If any person whose name is not for the time being entered in the register, or falsely represents that it is so entered, he shall on conviction be punished with fine which may extend to one thousand rupees.
 - 37B Display of registration certificate. (1) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration in the prescribed form. The registered practitioner shall display the certificate of registration in a conspicuous part in the place of his practice and if he has more than one such place, in each such place.
- (2) Whoever fails to comply with the provisions of subsection (2) shall be liable to be punished which may extend to one thousand rupees and in the case of continuing failure with an additional fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first during which he has persisted in the failure."
- 7. Amendment of section 40:—In section 40 of the principal Act, for the abbreviations, figures, brackets, and words "Rs. 500 (five hundred)" and "Rs. 1000 (one thousand)", the abbreviations, figures, brackets and words, "Rs. 5000 (rupees five thousand)" and "Rs. 10,000 (rupees ten thousand)" respectively shall be substituted.
- 8. Amendment of Schedule:—For the Schedule to the principal Act, the following Schedule shall be substituted:—

SCHEDULE

- (i) Homeopaths who have passed an examination from any Homeopathic institutions in any State or Union territory, provided that for the purposes of registration such an institution is recognised by the State Government.
- (ii) Homeopaths who are holding recognised medical qualifications as per the provisions of the Homeopathy Central Council Act, 1973 (Central Act No. 59 of 1973)."

R.T.L. D'SOUZA, Under Secy. (LA)